B-3 & 4
L-16

I. Polity

अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार :-

• भारत के भू-भाग में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। (अनुच्छेद - 29(1))

यह सांस्कृतिक अधिकार बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक सभी को उपलब्ध है।

• परन्तु अल्पसंख्यक सांस्कृतिक अधिकारों का ज्यादा प्रभावी प्रयोग कर पाते हैं क्योंकि विधि के निर्माण में प्रशासन में प्रायः बहुसंख्यक समुदाय का प्रभाव होता है।

• संस्कृति की रक्षा के लिए यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में अथवा राज्य द्वारा वित्त प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रवेश केवल धर्म, प्रजाति एवं भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। (अनुच्छेद 29(2))

अल्पसंख्यकों के अधिकार :-

• अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है लेकिन धार्मिक या भाषायी दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख है और भारत में आज भी अल्पसंख्यकों को निर्धारित करने में निम्नलिखित कठिनाई

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Scanned by CamScanner

उत्पन्न होती है।

1. संसदीय विधि के अनुसार भारत में मुस्लिम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है जो अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में उल्लेखित है।

2. अल्पसंख्यकों का निर्धारण संख्या के आधार पर किया जाए अथवा पिछड़ेपन के आधार पर किया जाए यह स्पष्ट नही है।

3. धार्मिक रूप में अल्पसंख्यकों का निर्धारण अखिल भारतीय रूप में होता है जबकि भाषाई रूप में अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के अनुसार होता है क्योंकि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है।

4. समकालीन समय में यह मांग की जा रही है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण भी राज्य के अनुसार होना चाहिए।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं : - [अनुच्छेद-30]

- अनुच्छेद 15(5)
- अनुच्छेद-19(1)(g) में शैक्षणिक संस्था स्थापित करना केवल अल्पसंख्यक का अधिकार नही है अपितु सभी का अधिकार है।

Scanned by CamScanner

अनुच्छेद-28 - यदि राज्य शैक्षणिक संस्था स्थापित करता है तो राज्य के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में स्वाभाविक रूप में धार्मिक शिक्षा नही दी जाएगी।

परन्तु यदि कोई निजी व्यक्ति शैक्षणिक संस्था स्थापित कर रहा है या फिर कोई ट्रस्ट हो तो वह धार्मिक शिक्षा दे सकता है।

• अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंध के अधिकार को हल करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 11 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा TMA पाई फाउन्डेशन वाद में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया जिनके मूल मुद्दे निम्नलिखित हैं:-

KGS IAS

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं :-

जो शैक्षणिक संस्थाएं अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित हैं यदि कोई शैक्षणिक संस्था संसदीय विधि से स्थापित है अथवा अल्पसंख्यकों के प्रबंध में है तो इसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था नही कहा जायेगा।

• शैक्षणिक संस्था में भाषा और धार्मिक अध्ययन के अलावा विज्ञान, तकनीकी, मेडिकल साइंस की शिक्षा भी दी जाएगी।

आरक्षण की मात्रा :-

• अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की निश्चित मात्रा निर्धारित करना स्वयं संस्था की प्रकृति और परिवेश पर आधारित किया जाएगा क्योंकि इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने सेंट स्टीफन वाद में कहा था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नही होना चाहिए जबकि TMA पाई फाउन्डेशन वाद में न्यायालय ने कहा कि निश्चित मात्रा निर्धारित करना कठिन है।

स्थापना और प्रबंध का अधिकार :-

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा, संस्थाएं अपने समुदाय के अध्यापकों और कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकती हैं।

अनुदान एवं स्वायत्ता :-

राज्य से वित्तीय अनुदान प्राप्त होने के बाद भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की प्रकृति प्रभावित नही होगी। क्योंकि अनुच्छेद 30(2) में उल्लेखित है कि राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान देने में कोई भेदभाव नही किया जायेगा।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR
Scanned by CamScanner

राज्य का हस्तक्षेप :-

अल्पसंख्यक समुदाय को स्थापना और प्रबंध का अधिकार असीमित नही है क्योंकि प्रबंध में कुप्रबंध शामिल नही है। क्योंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को डोनेशन या कैपिटेशन फीस लेने का अधिकार नही है और शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा अपने समुदाय के व्यक्तियों के लिए प्रवेश में पारदर्शिता होनी चाहिए तथा अकादमिक सत्र एवं शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राज्य के पास रहेगा।

(अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का पहला मामला - केरल एजुकेशन बिल वाद)

अनुच्छेद 350(A)

भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा दी जायेगी।

अनुच्छेद 350(B)

अल्पसंख्यक भाषाई समुदाय की भलाई के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

संवैधानिक (Constitutional)

OBC, SC/ST

जो संविधान में उल्लेखित है उसे संवैधानिक कहा जाता है।

संविधानेत्तर
- → संसदीय विधि (Statutory legal)
  - सांविधिक
  - सांविधिक
- → अल्पसंख्यक महिला NHRC
- → कार्यपालिका के आदेश

(नीति आयोग न तो संवैधानिक है और न ही संविधिक)

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

Scanned by CamScanner

सम्पत्ति का अधिकार :-

- भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)(f) में नागरिकों को सम्पत्ति के अर्जन और बिक्री का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 31(1) में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से ही सम्पत्ति से वंचित किया जायेगा।
- व्यक्ति के सम्पत्ति के अधिकारों के साथ सामाजिक न्याय का संतुलन बनाते हुए कहा गया कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए राज्य के द्वारा व्यक्ति से संपत्ति ली जा सकती है बसर्ते संपत्ति अर्जित करने में निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी।

(a) सम्पत्ति का अर्जन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए।

(b) इसके एवज में मुआवजा दिया जाएगा।

Scanned by CamScanner